

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 461(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 18.09.1995 की अधिसूचना सं. का.आ. 791(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “गुजरात सरवर मंडल, कमरा सं. 15, प्रथम तल, हिमावन, समाज कल्याण केंद्र, शांति कुंज सोसायटी, प्रितामरी मार्ग, पालदी के निकट, अहमदाबाद-6” द्वारा “अहमदाबाद गुजरात में निर्धनों और निराश्रित रोगियों को मुफ्त चिकित्सा सहायता के लिए” की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1996-97 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 1 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे बाद में दिनांक 11.08.1998 की अधिसूचना सं. का.आ. 686(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 1999-2000 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया ; जिसे दिनांक 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 561(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-03 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे दिनांक 5 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 796 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 16.07.2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1152(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे दिनांक 21 जुलाई, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1797(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि दिनांक 5 जुलाई, 2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 630 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 12.00 लाख रुपए से 36.00 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया था और दिनांक 5 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 796(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 36.00 लाख रुपए से 72.00 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 18 वर्षों से अधिक तक चलने की संभावना है ;

और जबकि परियोजना लागत को 72 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 90 लाख रुपए तक संशोधित किए जाने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए परियोजना लागत को 1 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 90 लाख रुपए तक संशोधित करने के लिए सिफारिश की है।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा (क) “गुजरात सरवर मंडल, कमरा सं. 15, प्रथम तल, हिमावन, समाज कल्याण केंद्र, शांति कुंज सोसायटी, प्रितामरी मार्ग, पालदी के निकट, अहमदाबाद-6” द्वारा चलाई जा रही “अहमदाबाद गुजरात में निर्धनों और निराश्रित रोगियों को मुफ्त चिकित्सा सहायता के लिए” की परियोजना

अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है। चूँकि वित्तीय वर्ष 2013-14 पहले ही समाप्त हो चुका है इसलिए उक्त वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए धारा 35 क ग के तहत कोई ब्रूट उपलब्ध नहीं होगी ; और

(ख) दिनांक 18.09.1995 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 791(अ) को निम्नलिखित आशय के लिए और संशोधित करती है, नामतः-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. (1), कालम (4) के सामने सारणी में, "72 लाख रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए "1 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 90 लाख रुपए" अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 91/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)